न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 08/19 **निर्णय दिनांकः 26.04.2019**

1. हेतराम पुत्र बीरबल दास जाति बैरागी निवासी चक 11–14 बीडब्ल्यूएम तहसील पूगल जिला बीकानर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. रामेश्वरलाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू।
2. ज्यानादेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 30–04–2018
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विनोद नाथ, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 30–04–2018 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट के पूर्वज की खातेदारी भूमि व अपीलांट के मुरब्बे की भूमि गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न. प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पूर्वज मघी वगैरा के धारण में बतौर एमएफएफआर विस्थापित ग्राम अमरपुरा के खसरा नम्बर 266 में 24.16 बीघा भूमि दिनांक 20—06—1986 को आवंटित हुई थी। उक्त चकप्लान आने पर गलत फीट कर दी गई। वर्तमान में मुताबिक रिकार्ड चक 11—14 बीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 51/2/13, मुरब्बा नम्बर 51/1/16 व मुरब्बा नम्बर 51/2/9 में कुल 24.16 बीघा भूमि रिकार्डड दर्ज है। जोकि वास्तव में कब्जा काश्त के अनुसार चक 11—14 बीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 51/1/12 में 15 बीघा भूमि दर्ज होनी थी। अपीलांट् द्वारा दुरूस्ती बाबत् उपनिवेशन विभाग व वादगत् भूमि राजस्व में आने पर उपखण्ड अधिकारी, पूगल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। अपीलांट् का वर्तमान में वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस बाबत् दिनांक 06—06—2007 को 15000/— का तावान जमा करवाया गया तथा वर्ष 2018 में भी तावान राशि 5500/— जमा करवाई गई। जिससे साबित है कि वादगत् भूमि वर्तमान में अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन नियमन, फिटिंग दुरूस्ती आदि की कार्यवाही जैरकार रहते हुए अपीलांट को सुंनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पूर्वज मघी वगैरा को बतौर एमएफएफआर विस्थापित ग्राम अमरपुरा के खसरा नम्बर 266 में 24.16 बीघा भूमि दिनांक 20—06—1986 को आवंटित हुई थी। उक्त चकप्लान आने पर गलत फीट कर दी गई। वर्तमान में मुताबिक रिकार्ड चक 11—14 बीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 51/2/13, मुरब्बा नम्बर 51/1/16 व मुरब्बा नम्बर 51/2/9 में कुल 24.16 बीघा भूमि

रिकार्डड दर्ज है। जोकि वास्तव में कब्जा काश्त के अनुसार चक 11—14 बीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 51/1/12 में 15 बीघा भूमि दर्ज होनी थी। अपीलांट् द्वारा दुरूस्ती बाबत् उपनिवेशन विभाग व वादगत् भूमि राजस्व में आने पर उपखण्ड अधिकारी, पूगल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। अपीलांट् का वर्तमान में वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस बाबत् दिनांक 06—06—2007 को 15000/— का तावान जमा करवाया गया तथा वर्ष 2018 में भी तावान राशि 5500/— जमा करवाई गई।

उक्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष जैरकार था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील के माध्यम से वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बतौर भूमिहीन किया गया है। जबकि उक्त भूमि भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत अपीलांटा को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना नोटिस दिये, अपीलांट का प्रार्थना पत्र पैंडिग रहते हुए गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उपरोक्त रकबा आवंटन कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवेदित भूमि अन्यत्र आवंटन को आवंटन होने के कारण उक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने से विकल्प में उपरोक्त रकबा गैर कानूनी रूप से आवंटित किया गया जो पूर्णतया गलत व विधि विरूद्व आवंटन किया गया है। अदालत मातहत को आराजी जैर के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी उक्त आराजी के आवंटन हेतु अन्य किसी काश्तकार का कोई आवेदन तो पैंडिंग नहीं है। उक्त रकबे हेतु अपीलांट की प्रथम वरीयता बनती है। अदालत मातहत द्वारा जानबूझ कर नियमों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विकल्प में उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

आराजी जैर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बिना वरियता के किया गया है। अदालत मातहत की तमाम कार्यवाही सुनियोजित तरीके से आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटन किये जाने की नियत से की गई है। अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड व उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों का अवलोकन किये मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को लाभ पहुॅचाने की गरज से सरासर एकतरफा तौर समस्त कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1992 पेज 465, आरआरडी 1975 पेज 142, आरआरटी 2007 पार्ट I पेज 551, आरआरटी 2005 पार्ट II पेज 942, आरआरटी 2005 पार्ट I पेज 1111, आरएलडब्ल्यू 2012 पार्ट प पेज 63(एससी), आरआरटी 2002 पार्ट प पेज 257, आरआरडी 1995 पेज 79 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट् रामेश्वरलाल को दिनांक 01—03—1976 को 13 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र धोषित किया गया था। उक्त पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर रेस्पोडेन्ट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि चक 11—14 बीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 51/1/12 के किला नम्बर 4 ता 7, 13 ता 18, 23 ता 25 की 13 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 1 की 1 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए आदेश जैर अपील के माध्यम से वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन पश्चात् आराजी जैर का कब्जा भी प्रदान किया जा चुका है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को विकल्प में भूमि का आवंटन इस आधार पर किया गया कि उक्त भूमि रिकार्ड में रकबाराज दर्ज व निर्विवाद रूप से उपलब्ध है व इस आराजी हेतु अन्य किसी आवेदक का आवेदन लम्बित नहीं है। इसप्रकार रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर का आवंटन नियमों व प्रक्रिया का पूर्ण पालना करते हुए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना साबित है।

उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि मिडियम पेच अथवा स्मालपेच आवंटन हेतु रिजर्व नहीं थी। चूंकि वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट को आवंटन बतौर भूमिहीन के तहत किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलांट को नोटिस जारी किया जाना अपरिहार्य नहीं था। अपीलांट का आराजी जैर से कोई सरोकार नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु आरक्षित भूमि है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से रेस्पोडेन्ट को किया गया आवंटन सही व विधि अनुसार किया गया आवंटन है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1973 पेज 801, आरआरडी 1992 पेज 128, आरआरडी 1992 पेज 266, आरआरडी पेज 1993 पेज 814, आरबीजे 2005 पेज 170, आरबीजे 2005 पेज 735 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट रामेश्वरलाल को दिनांक 01—03—1976 को 13 बीघा कमाण्ड भूमि के आवंटन के लिय पात्र धोषित किया गया। उक्त आवेदन सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर को प्रस्तुत किया गया। मूल आवंटन पत्रावली के पृष्ठ संख्या 10 पर सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छत्तरगढ़ द्वारा रेस्पोडेन्ट रामेश्वरलाल को दिनांक 2 व 3 फरवरी, 1984 को लॉटरी में भाग लेने हेतु सुचित किया गया, परन्तु लॉटरी कार्यवही का विवरण पत्रावली पर नहीं है।

आगामी 34 वर्ष तक उक्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि पात्र धोषित व्यक्तियों के आवेदन पड़ौसी उपनिवेशन तहसीलों को अन्तरित किये जाते रहे। संभव है कि आवेदक/रेस्पोडेन्ट का आवेदन भी इस अवधि में निस्तारित कर दिया गया हो। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली में पृष्ठ संख्या 1 पर प्रार्थी रामेश्वरलाल के आवेदन पर उसे सन् 1974 की पात्रता के आधार पर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति में प्रस्तुत किये जाने का आदेश नोटशिट पर है परन्तु नोटशिट पर आदेश की तिथि अंकित नहीं है। तत्पश्चात् दिनांक 30—04—2018 को आवंटन सलाहकार समिति के हवाले से चक 11—14 बीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 51/1/12 की 14 बीघा भूमि आवंटन करने के आदेश जारी कर दिये गये। उक्त तिथि को पत्रावली संख्या 824/01—03—1976 जिसके आधार पर आवंटन किया गया था, आवंटन अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं थी। उक्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला द्वारा उपखण्ड अधिकारी पूगल को दिनांक 20—08—2018 को स्थानान्तरित की गई थी।

अपीलाधीन आवंटन किस श्रेणी का है, क्या मौके पर भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध थी? क्या आवेदक को पात्र धोषित होने के उपरान्त गत् 42 वर्ष तक के दौरान अन्यत्र स्थान पर भूमि आवंटित कर दी गई थी? क्या 42 वर्ष पूर्व की पात्रता आज भी कायम थी? आदि प्रश्नों पर विचार किये बिना तथा आवंटन सलाहकार समिति में निर्णय करवाये बिना केवल पेपर अलॉटमेंट किया गया हैं उक्त आवंटन आदेश मानमाना, अविवेकपूर्ण एवं विधिक प्रावधानों से असंगत है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—04—2018 निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 26.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर